संख्या–सम्ब0 60/सत्तर–6–2012–2(670)/2011

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई, 2012

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–पू0वि0वि0/सम्बद्धता/02–47(एक)/2011/9740, दिनांक 02.12.2011 एवं पत्रांक–पू0वि0वि0/सम्बद्धता/02–47(एक)/2011/12021, दिनांक 05.06.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन रामउग्रह मुनेश्वरी महादेव महाविद्यालय, काझा (कोठी), मऊ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं मनोविज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2011 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या–सम्ब0 60(1)/सत्तर–6–2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्धक, रामउग्रह मुनेश्वरी महादेव महाविद्यालय, काझा (कोठी), मऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या–1961 / सत्तर–6–2008–2(278) / 2004

प्रेषक,

आर0के0मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ: दिनांक: 25 जुलाई, 2008

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–पू0वि0वि0 / सम्ब0 / 02(एक) / 2008 / 897, दिनांक 21.05.2008 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन श्री राज्यपाल राम उग्रह मुनेश्वरी महादेव महाविद्यालय, काझा कोठी, मऊ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं मनोविज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनाक 01.07.2008 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य एवं प्राध्यापको की नियमानुसार नियुक्ति कर उनपर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लिया जायेगा।
4. संस्था शासनादेश सख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एव इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एव मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

(2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या–1961(1) / सत्तर–6–2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. प्रबन्धक, राम उग्रह मुनेश्वरी महादेव महाविद्यालय, काझा कोठी, मऊ।
4. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।